

९९
मौका पंचनामा

दिनांक - 27/12/2017

स्थान - कस्तूर 513 A

513 B

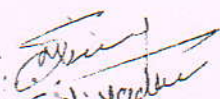
बीट-पश्चिम कालीघोड़ी

अधोहस्ताक्षर कर्ता पंचनामा लिखता है कि आज दिनांक 27-12-2017 को जल संसाधन विभाग उपसंभाग 2 खालवा द्वारा आंवल्या मध्यम परियोजना अंतर्गत फिरो गैर सीमांकन एवं संवर्धन कार्य अनुसार डुब में आने वाले क्षेत्र का वनपरिक्षेत्राधिकारी, पूर्व कालीभीत (स्वामान्य) अधिनस्थ वन स्टाफ एवं जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग 2 खालवा एवं अन्य स्टाफ के हमराह रहकर डुब में आने वाले क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण भारक्षित वन क्षेत्र की बीट पश्चिम कालीघोड़ी के कस्तूर क्र. 513 A एवं 513 B का किया गया। निरीक्षण के दौरान वन क्षेत्र में आने वाली वृक्षभूमि 54-60 हे. एवं वन ग्राभ रकबा क्षेत्र में स्वीकृत पट्टेधारी कुषकों के क्षेत्र का भ्रमण किया। तथा जल संसाधन विभाग द्वारा वन भूमि अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में खेड़े वृक्षों के विग्नकन कार्य (मार्किंग) का अवलोकन किया। मातृभूमि पर जल स्थल के GPF points का मिलान किया गया। तथा मौके पर डुब में आने वाले वनाधिकार पट्टेधारि कुषकों के वनाधिकार में दर्ज भूमि अनुसार डुब में आने वाली क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया।

मौका पंचनामा लिखकर प्रत्येक के शमश पढ़कर सुनाया सही पाये जाने पर हस्ताक्षर किये।

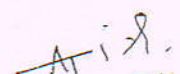
हस्ताक्षर पंच गण -

पंचनामा मेरे द्वारा लिखित किया गया।


S. N. Yadav
27/12/17 M.C.


R. D. E. K. (P.)


27/12/2017
क्षी के निमंत्रण
(उपचारी)
जल संसाधन उपसंभाग 2
खालवा

2. 
27/12/17
(मुकेश गंगराई)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग क्र. 02
खालवा (खडवा) (म. प्र.)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा

ई-मेल- eewrdkhandwa@yahoo.com फोन न. 0733-2223112

पत्र क्रमांक 125 / कार्य / आंवलिया / 2018

खण्डवा, दिनांक 11 / 01 / 2018

प्रति,

✓ वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल (सामान्य)
खण्डवा (म.प्र.)

विषय :- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 54.60 हे० वन भूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव के संबंध में।
प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/29552/2017

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं. मा.चि./ऑनलाईन/2017/5380/खण्डवा दिनांक 26.12.2017
00000

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 54.60 हे० वन भूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में प्रस्तावित योजना का वन एवं राजस्व भूमि स्थल पर स्पष्ट सीमांकन कराया जाकर संयुक्त प्रतिवेदन चाहा गया है। दिनांक 27.12.17 को सीमांकन उपरांत किये गये संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

योजना में डूब प्रभावित राजस्व वनभूमि निरंक है।

1. प्रस्तावित योजना की इमेज जे०पी०ई०जी० फाईल (50 के०बी० से कम) एवं प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण की इमेज एवं फोटोग्राफ, के०एम०एल० एकजाई फाईल की सी.डी. माह दिसम्बर में ही आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है।
2. वन ग्राम आंवलिया के डूब प्रभावित हितग्राहियों के संबंध में कृषकवार प्रतिवेदन संलग्न है।

सहपत्र :- दो।

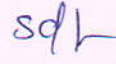

(एस.एम.चतुर्वेदी)

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खण्डवा

पृ. क्रमांक / कार्य / आंवलिया / 2018

खण्डवा, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि :- अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्रं. 2 खालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(एस.एम.चतुर्वेदी)
कार्यपालन यंत्री,

 जल संसाधन संभाग, खण्डवा

Dr. J. P. ...

14

Carolyn L. Gifford

•